Shanka Singh छबीला	6/6 आवेदक/वादी के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत हुआ। 16/6 उपस्थित अभियुक्त/प्रतिवादी को उनके विरुद्ध दायर वाद की कार्यवाही का अवगत कराया गया किन्तु प्रतिवादी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः साक्षी का साक्ष्य स्थगित किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेशानुसार सूचीबद्ध की जाये। निर्देश के लिए नियत तिथि में उपस्थित हो।

अं.टि.

कमला देवी

Scanned by CamScanner